रामसिंह मीणा बनाम मांगीबाई

0/2024

7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी बहस को रोका चाहते हैं। वकील प्रार्थी को हिदायत दी जाती है कि वे आगामी पेशी पर पूर्ण तैयारी के साथ आवश्यकता से बहस करे अन्यथा प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुणो के आधार पर कर दिया जावेगा। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम हेतु दिनांक 6/8/24 को पेश हो।

उप-खण्ड अधिकारी,
जयपुर (द्वितीय)

6/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRACT मे अंकित तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड, विक्रय पत्र का आद्योपान्त अवलोकन करते व वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर(क) मे वर्णित खसरा नम्बरान् कुल किता 32 कुल रकबा 7.78 हैक्टयर मे प्रार्थीगण हिस्सा 1/16 भाग खातेदार ग्राम दांतली तहसील सांगानेर मे से 1/16 का 3599/4862 भाग अप्रार्थी सं. 1 के जरिये विक्रय पत्र दिनांक 24/5/2006 को किया गया। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से हिस्सा 3599/77792 हिस्से का अंकन राजस्व रिकार्ड मे होना चाहिये था एवं प्रार्थीगण के नाम से विक्रय किये जाने के बाद मे शेष भूमि बदस्तुर हिस्सा 421/77792 होना चाहिये था तथा प्रार्थीगण के नाम से नामान्तकरण संख्या 393 दिनांक 6/9/2010 द्वारा हकत्याग से प्रत्येक हिस्सा 1/48 के अनुसार प्रार्थीगण के नाम व खातेदारी दर्ज हुई। जिसके प्रार्थीगण के नाम विक्रय पत्र के बाद मे शेष बदस्तुर रही भूमि हिस्सा 421/77792 व हक त्याग हिस्सा 1/144 दोनो को मिलाकर के प्रार्थीगण का हिस्सा 8651/700128 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद होना चाहिये था जबकि — लगाया

उप-खण्ड अधिकारी,
जयपुर (द्वितीय)

फर्द अहकाम

रामसिंह मीणा बनाम श्रीमति मांगीबाई वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर

केस संख्या 90/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	6/8/24	जमाबन्दी मे 3599/4862 दर हिस्सा 1/12 गलत हो गया जिसे शुद्ध कर दर हिस्सा 1/16 शुद्ध किया जाना उचित समझते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRACT स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि आराजी ख०न० 19 रकबा 0.27 हे०, 20 रकबा 0.31 हे०, 21 रकबा 0.50 हे०, 22 रकबा 0.32, 37 रकबा 0.89 हे०, 60 रकबा 0.06 हे०, 61 रकबा 0.22 हे०, 62 रकबा 0.26, 63 रकबा 0.31 हे०, 64 रकबा 0.02, 65 रकबा 0.34 हे०, 66 रकबा 0.02 हे०, 67 रकबा 0.50 हे०, 68 रकबा 0.06 हे०, 108 रकबा 0.33 हे०, 109 रकबा 0.34 हे०, 110 रकबा 0.29 हे०, 111 रकबा 0.25 हे०, 112 रकबा 0.03 हे०, ख० न० 113 रकबा 0.01 हे०, 114 रकबा 0.01 हे०, 115 रकबा 0.22 हे०, 116 रकबा 0.24 हे०, 118 रकबा 0.12 हे०, 119 रकबा 0.29 हे०, 151 रकबा 0.21 हे०, 152 रकबा 0.10 हे०, 153 रकबा 0.14 हे०, 154 रकबा 0.12 हे०, 405 रकबा 0.90 हे०, 144/1169 रकबा 0.08 हे० व ख० न० 144/1170 रकबा 0.02 हे० कुल किता 32 कुल रकबा 7.78 हे० वाके ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे प्रार्थीगण के प्रत्येक हिस्सा 421/77792 व हक त्याग के द्वारा प्राप्त भूमि हिस्सा 1/144 दोनो को मिलाकर के प्रार्थीगण के नाम से वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण प्रत्येक हिस्सा 8651/700128 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद किया जावे एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से हिस्सा 3599/77792 का अंकन किया जावे तथा प्रार्थना पत्र के चरण सं. 1 के उप चरण (ख) की प्रश्नगत आराजी ख०नम्बरान के नाम से हक त्याग के द्वारा प्राप्त भूमि हिस्सा 1/144 राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को अवलोकार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।

उप-खण्ड अधिकारी,
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:34:22 IST
Reason: SelfAttested